

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

तहसील अधिकारी:- साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

सुमन बनाम जगदीश वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 119/2019

निर्णय

निर्णय दिनांक :- 12.08.2021


प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा 05.01.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, तथा तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2021/638 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

.निज,, - मुबलिक- -दाबन,
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह- फसीदी आज की तारीख से तारीख
... को अदा करे।

सब मेरे द्वारा तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।





साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर